

होकर पत्रावली दिनांक 8/1/19 को  
प्रेष हो

उत्प्रेषण प्रमाण  
सद्विधि प्रमाण  
हस्ताक्षर कि प्रमाण  
पत्र प्रमाण

उपखण्ड अधिकारी  
करौली (राज०)

8-1-19

आगत १० का. के मंत्री जी के प्रेष काल मेथिन  
कारण आज दिनांक 8-1-19 को  
विचारधीन राजस्व मुकदमात की  
पुनर्वाई दिनांक 11-1-19 को  
की जावेगी।

11-1-19

पत्रावली प्रेष हुई। वकील सायल उपस्थित  
वहल सायल वकील सुनी गई।  
पत्रावली का अवलोकन किया गया।  
नामान्तरण संख्या 1227 दिनांक 5-12-17  
में अपीलान्त हरपति के असावा शरक  
लागु की पुत्रीया श्रीम. कमलेश, लुकीरा  
का नाम दर्ज नहीं किये जाने के कारण ग्राम  
पंचायत रोडकला द्वारा उक्त, नामान्तरण  
खारिज किया गया है। जबकि ग्राम पंचायत  
द्वारा शेष रहे वरिष्ठों को नामान्तरण में  
दर्ज किये जाने के आदेश दिनांक 5-12-17  
आवक उका (निर्णय दिनांक 5-12-17) न्यायालय  
एस्ट्रेपन ग्राम पंचायत रोडकला प्राकृतिक  
न्याय के सिद्धान्तों की अवलोकना करते हुए।  
पारित किया गया है। जो संपात किये  
जाने योग्य है।

उक्त अपील अपीलान्त कोशिक  
स्वीकार की जा रही है। निर्णय दिनांक 5-12-17  
वावर नाम संख्या 1227 ग्राम रोडकला  
अपिलान्त न्यायालय एस्ट्रेपन ग्राम  
पंचायत रोडकला लक्ष्मील करौली  
निरस्त किया जा रहा है। पत्रावली

# गिराजी वेव लाउन्ड्री सर्वेच

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

अमील नामाण  
हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

पुनः पुनवाई को तदखिलदार करौली को  
रिमाण की जाती है। तदखिलदार करौली  
को निर्देश दिये जाते हैं कि नामाण  
को 1227 ग्राम योडरला से मृतकलापुर  
पुनः नामका जाति मूर्त निरु शेरकला  
(मुजीवकापुरा गुडला) तदखिल करौली के  
कारिशाक की जांच कर एवं डीपीसाक  
को पुनवाई का उचित अवसर देते  
हुये गुणावशुन पर पुनः नामान्तरण  
स्वीकृत करे। निर्णय की प्रमाणित प्रति  
तदखिलदार करौली को भिजावाई जाये।  
पत्रावली फैसल शुमार होम नम्बर  
द्वे कम होकर वाद नकमील दारिवल  
दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी  
करौली (राज०)

31/3/21  
31/8/21